रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112022-240621
CG-DL-E-28112022-240621

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5267]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्रहायण 4, 1944
No. 5267]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

का.आ. 5496(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, विनाइल एसीटेट मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनाइल एसीटेट मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विनाइल एसीटेट मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह 31 मई, 2023, को प्रवृत्त होगा।"

3. उक्त आदेश में, सारणी के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-:

"**टिप्पण :** सारणी के प्रयोजनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, जिसके अंतर्गत जारी किए गए संशोधन भी हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा ।

[फा. सं. पीसी-II 46016/ 6/2020-टेक.सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

3. उक्त आदेश में, सारणी के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-:

"**टिप्पण :** सारणी के प्रयोजनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, जिसके अंतर्गत जारी किए गए संशोधन भी हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. पीसी-II 46016/ 6/2020 - टेक.सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 27 दिसंबर, 2021 में का.आ. 5406(अ) तारीख 22 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात का.आ. 2436(अ) तारीख 30 मई, 2022 द्वारा संशोधित किया गया।

ORDER

New Delhi, the 25th November, 2022

S.O. 5497(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order to further amend the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) This order may be called the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Second Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Order, 2021 (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) It shall come into force on the 31st day of May, 2023".

3. In the said Order, after the TABLE, the following Note shall be inserted, namely:—

"Note: For the purposes of the TABLE, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof and notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification."

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th December, 2021 *vide* number S.O. 5406(E), dated the 22nd December, 2021 and subsequently amended vide number S.O. 2436 (E), dated the 30th May, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.28 21:43:08 +05'30'